

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ खंडपीठ****दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 1952/2026**

सूर्यमणि मिश्रा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : श्री सौरभ वर्मा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता , श्री आशुतोष सचान

न्यायालय संख्या 16**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

दिनांक 27.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- "1. आवेदकों के अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. पक्षकारों के अधिवक्ता का कथन है कि पक्षकारों के मध्य वाद में समझौता हो गया है और समझौता विलेख अनुलग्नक संख्या-5 के रूप में अभिलेख पर है।
3. उक्त कथन के दृष्टिगत, पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 17.03.2026 को इसके सत्यापन हेतु समझौता विलेख के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा आगामी तिथि तक इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रेषित की जाए।
4. विचारण न्यायालय की रिपोर्ट के साथ दिनांक 30.03.2026 को सूचीबद्ध करें।
5. मूल समझौता विलेख, यदि कोई हो, विचारण न्यायालय के समक्ष इसके सत्यापन हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने पर, अभिलेख पर इसकी एक प्रतिलिपि सुरक्षित रखते हुए आवेदकों के अधिवक्ता को वापस कर दिया जाए।
6. सूचीबद्ध होने की आगामी तिथि तक, पुलिस थाना-खीरी, जिला-खीरी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 222/2023 के अनुसरण में आवेदकगण के विरुद्ध कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। "

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2026 की सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

इसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 18.02.2026 का समझौता विलेख सम्यक रूप से सत्यापित कर दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया गया।

इस प्रार्थनापत्र द्वारा आवेदकगण ने राज्य बनाम सूर्यमणि मिश्रा के संबंध में पुलिस थाना- खीरी, जिला-खीरी में दर्ज अपराध संख्या 0222/2023 अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता की सम्पूर्ण आक्षेपित आपराधिक कार्यवाही एवं साथ ही साथ आरोप पत्र संख्या 242/2023 दिनांक 29.06.23 एवं विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-2, लखीमपुर खीरी द्वारा पारित समन आदेश को अभिखण्डित करने तथा दिनांक 02.07.2025 पर रोक लगाने की भी प्रार्थना की है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि कुछ मिथ्याबोध के कारण, आवेदकों के विरुद्ध वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि बाद में, पक्षकार एक साथ बैठे और उन्होंने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवादों को सुलझा लिया है, जिसे दिनांक 18.02.2026 को लिखित रूप में दर्ज किया गया है। तत्पश्चात, आवेदकों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 1952/2026 प्रस्तुत किया जिसमें इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 27.02.2026 के माध्यम से विचारण न्यायालय को उक्त समझौता विलेख को सत्यापित करने का निर्देश दिया था और उसके अनुपालन में, समझौता विलेख दिनांक 17.03.2026 को सत्यापित किया गया। उनका निवेदन है कि अब पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है और उन्होंने अपना विवाद सुलझा लिया है। उनका निवेदन है कि वर्तमान वाद में आगे की आपराधिक कार्यवाही

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उत्पीड़न के समान होगी और इसलिए, आवेदकों के विरुद्ध वर्तमान आपराधिक कार्यवाही निरस्त की जाए।

विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपना विवाद सुलझा लिया है और विपक्षी संख्या-2 को कोई शिकायत नहीं है, अतः आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जाए।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता को उपरोक्त निवेदनों पर कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, मैं यह पाता हूँ कि पक्षकारों के मध्य दिनांक 18.02.2026 को समझौता हो गया है और उक्त समझौते को दिनांक 17.03.2026 को सत्यापित कर लिया गया है तथा अब, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के कथन के अनुसार, वे आवेदकों के विरुद्ध पूर्वोक्त आपराधिक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत, चूंकि आवेदकों और विपक्षियों ने दिनांक 18.02.2026 को समझौता कर लिया है और कोई भी शिकायत विवादित नहीं रह गई है, अतः पूर्वोक्त आपराधिक वाद में आगे की आपराधिक कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2003) 4 एस.सी.सी. 675; निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2008) 9 एस.सी.सी. 677; मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य, (2008) 16 एस.सी.सी. 1; ज्ञान सिंह**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एस.सी.सी. 303; और नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एस.सी.सी. 466 में दिए गए निर्णयों के आलोक में निरस्त किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, पुलिस थाना- खीरी, जिला- लखीमपुर खीरी से संबंधित वाद अपराध संख्या- 0222/2023 अंतर्गत धारा- 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, आरोप पत्र संख्या- संख्या-242/2023 दिनांक 29.06.2023 तथा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित सम्मन आदेश दिनांक 02.07.2025 सहित, आवेदकगण के विरुद्ध संस्थित सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

यह समझौता इस आदेश का भाग होगा।

तदनुसार आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

दाखिल दफ्तर किया जाए।

30 मार्च, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।